न्यायालय लेण्ड रेकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 28/2018
दायर दिनांक – 22/02/2018
निर्णय दिनांक – 28/05/2018

अनवान

1. नाजीराम पिता वेणा सालवी निवासी पीपावास तह0– रेलमगरा
2. मोहनलाल पिता वेणा सालवी निवासी पीपावास तह0– रेलमगरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. पृथ्वीसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी पीपावास तह0– रेलमगरा
2. अणछी पति स्व. शंकरलाल सालवी निवासी पीपावास तह0– रेलमगरा
3. माधु पिता मेघा सालवी निवासी पीपावास तह0– रेलमगरा
4. देवजी पिता लालु बलाई निवासी पीपावास तह0– रेलमगरा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 861/231 रकबा 05–00 बीघा ग्राम पीपावास में स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 861/231 के दक्षिण दिशा में विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 854/231 रकबा 03–00 बीघा स्थित है तथा प्रार्थीगण की आराजी संख्या 861/231 के पश्चिम दिशा में विपक्षीगण संख्या 02 से लगायत 03 के संयुक्त स्वामित्व की आराजी संख्या 243/3 रकबा 05–05 बीघा संशोधित नम्बर 896/243 रकबा 05–05 बीघा एवं विपक्षी संख्या 04 की आराजी संख्या 236 रकबा 01–13 बीघा स्थित है तथा आराजी संख्या 243 के खातें में हीरा पिता दुदा का नाम भी है किन्तु हीरा की मृत्यु हो गई है उसके पीछे वारिस विपक्षी संख्या 02 अणछी ही है जो उसकी पुत्र वधु है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 861/231 व विपक्षीगण की आराजी संख्या 854/231, 896/243, 236 के बीच कोई स्थाई सीमाकंन चिन्ह नही होने से बार–बार सीमा बाबत् विवाद होता रहता है व भविष्य में विवाद होने की सम्भावना है तथा स्थई

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

सीमाकंन चिन्ह नही होने से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी की दक्षिण, पश्चिम सीमा पर स्थाई रूप से विवाद को समाप्त करने के लिए प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उक्त आराजियात के सीमाओं के बीच स्थाई सीमाकंन चिन्ह हेतु पत्थरगढी कराना आवश्यक है। इस हेतु पत्थरगढी करवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने दिनांक 11/12/2017 को प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उक्त आराजियात की सीमा की जानकारी करवाई जिसका पटवारी हल्का ने मौके पर पहूँचकर पर्चा मौका तैयार किया जिसकी प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। सीमा जानकारी के बाद भी विपक्षीगण मौके पर सीमा बाबत् विवाद कर रहे है व स्थाई सीमाकंन चिन्ह हेतु पत्थरगढी हो जाने पर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नही रहेगा व मुकदमें बाजी बढने की कोई सम्भावना नही रहेगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना हेतु जब जब सीमा बाबत् विपक्षीगण ने विवाद करना चाहा व प्रार्थीगण ने सीमा जानकारी करवाई। इसके बाद आज से करीबन 01 माह पूर्व से प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को प्रार्थीगण व विपक्षीगण की आराजियात की बीच पत्थरगढी करवाने हेतु कहने पर नही मानकर इन्कार करते हुए सीमा बाबत् विवाद कर रहे है। तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 861/231 व विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 854/231 व विपक्षीगण संख्या 02 व 03 की आराजी संख्या 896/243 व विपक्षी संख्या 04 की आराजी संख्या 236 की सीमाओं के बीच स्थाई सीमाकंन चिन्ह हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार साहब को नियुक्त करने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली तलबी में नियत थी कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत कोटडी पर आयोजित शिविर में पत्रावली को रखा जाकर पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 02 से लगायत 04 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली में एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। तथा विपक्षी संख्या 01 पृथ्वीसिंह दौराने शिविर उपस्थित होकर पत्थरगढी करवाये जाने पर अपनी सहमति प्रदान कर ऑर्डरशीट पर अपनी निशानी लगायी गयी तथा विपक्षी संख्या 05 भूमिधारक होकर इनके विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है। दौराने शिविर प्रार्थीगण अनुपस्थित।

2/8

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

मामलें में विपक्षी संख्या 01 को सुना गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। विधि में प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपने खातेदारी भूमि का सीमाकंन कराये जाने का हक अधिकार निहित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपावास स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 861/231 व विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 854/231 व विपक्षीगण संख्या 02 व 03 की आराजी संख्या 896/243 व विपक्षी संख्या 04 की आराजी संख्या 236 की सीमाओं के बीच स्थाई सीमाकंन चिन्ह हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार साहब को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रेलमगरा पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी करा पालना प्रस्तुत करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोटडी पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा